राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः एफ 4(220)प्रा0शि0/एमडीएम/दिशा–निर्देश/2019/ 633 जयपुर दिनांकः 25/1/2021

जिला कलक्टर
समस्त

विषयः–मिड–डे मील योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिड डे मील योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का प्रत्येक त्रैमास के लिये आवंटन किया जाता है। उक्त आवंटित खाद्यान्न का खाद्य विभाग द्वारा अधिकृत परिवहन ठेकेदारों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गौदाम से उठाव कर विद्यालयों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं तक पहुंचाया जाता है।

विभाग द्वारा खाद्यान्न का आवंटन करने के उपरान्त भी जिलों में खाद्यान्न का समय पर एवं पूर्ण उठाव नहीं किया जाता है ज़िसके कारण विद्यालयों में खाद्यान्न की कमी आ जाती है एवं योजना के क्रियान्वयन में रूकावट पैदा होती है। खाद्यान्न का समय पर उठाव नहीं होने पर खाद्यान्न लैप्स होने की स्थिति बन जाती है एवं वैधता अवधि में विस्तार हेतु विभाग को लिखा जाता है। उक्त प्रक्रिया बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराई जा सकती है।

इस सम्बन्ध में विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक त्रैमास के लिये आवंटित खाद्यान्न का निर्धारित वैद्यता अवधि में पूर्ण उठाव किया जाये ताकि विद्यालयों में खाद्यान्न की कमी से किसी भी हालत में विद्यार्थी पोषाहार से वंचित न रहे ।

अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होते ही खाद्य विभाग के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के गौदाम से उठाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर विद्यालयों

www.rajteachers.com

में वितरण किया जाये। खाद्यान्न उठाव के अभाव में यदि खाद्यान्न लैप्स होता है अथवा वितरण के अभाव में विद्यालय में खाद्यान्न की कमी रहती है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

-sd-
(डॉ.भवंर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः एफ 4(220)प्रा0शि0/एमडीएम/दिशा–निर्देश/2019/ जयपुर दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान।
4. अति.खाद्य आयुक्त एवं निदेशक उपभोक्ता मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक (स्कन्ध एवं बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
7. समस्त जिला रसद अधिकारी।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),प्रारम्भिक शिक्षा ।
9. प्रभारी आईटी सैल को को सम्बन्धित को ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.आशीष व्यास)
उपायुक्त (क्रि.एवं मू.)

www.rajteachers.com

पता :– मुख्य प्रशासनिक भवन,डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,जे.एल.एन मार्ग, जयपुर,302017 सम्पर्क –0141–2701694, 2707166, 2701960
ई–मेल rajmdm@rediffmail.com, mdm-rj@nic.in